न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर, ‡मध्यप्रदेश‡

R 202-I/08 राज0निगरानी क्र0/ /2008

Rs. 15/-

बृजकिशोर तनय श्यामसुन्दर ब्रा0 निवासी ग्राम दुवहा, टोला, ककलपुर, तहसील अमरपाटन, जिला सतना, म0प्र0. -----आवेदक/निगरानीकर्ता.

बनाम

01-लक्ष्मी देवी पत्नी स्व0 रोहणी प्रसाद ब्रा0

02-अरुण कुमार ‡

03-रतन कुमार ‡

04-दिलीप कुमार ‡ -पिसरान स्व0 रोहणी प्रसाद ब्रा0

05-लक्ष्मीकान्त ‡

06-विजय कुमार ‡

07-रमाकान्त ‡

08-धर्मेन्द्र ‡

सभी निवासीगण ग्राम अमिरती, तहसील हुजूर, जिला रीवा, म0प्र0.

-----अना0गण/गैर निगरानी कर्तागण

आज दि० 26.2.08 को प्रस्तुत
26.2.08
रजिस्ट्रार सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

ओ0 पी0 सिंह
एडवोकेट
हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध निर्णय व आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा दिनांक 13.02.2008 जो प्रकरण क्र0 1073/अपील/2006-07 मे पारित किया जाकर रेस्पा0 की अपील स्वीकार की गई ।

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0 ।

निरंतर...

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-202–एक/2008 **जिला** सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश बृजकिशोर विरूद्ध लक्ष्मीदेवी, अरूणकुमार, रतनकुमार, दिलीपकुमार,, लक्ष्मीकांत, विजयकुमार, रमाकांत,धर्मेन्द्र	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–12–2015	प्रकरण में अनावेदक अधिवक्ता श्री एस. के. श्रीवास्तव उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव को प्रकरण में सुनवाई हेतु तीन बार पुकार लगवाई गयी, किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण कमांक–1073/अपील/06–07 में पारित आदेश दिनांक–13.2.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष कच्ची वेची टीप के साथ नामांतरण किए जाने हेतु संहिता की धारा 109 एंव 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । इसी प्रकार अनावेदक गण द्वारा भी रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर इन्ही बिवादित ख.क. 532, 534, एवं 87 के संबंध में नामांतरण का आवेदन प्रस्तुत किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा प्र.कमांक–223/अ–6/03–04 में पारित आदेश दिनांक–29.1.2007 से अनावेदक गण के नाम रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर नामांतरण स्वीकार किया गया । विचारण न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी अमर पाटन के न्यायालय में की गयी जहां पर प्रकरण कमांक–75/अपील/2006–2007 में पारित आदेश दिनांक–18.6.2007 से आवेदक की अपील स्वीकार की गयी । अनुविभीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक–18.6.2007 के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गयी जहां पर प्रकरण कमांक–1073/अपील/06–07 में पारित आदेश दिनांक–13.2.2008 से अनावेदक गण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक–18.6.07 निरस्त किया गया और विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक–29.1.07 को यथावत रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश दिनांक–13.2.2008 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है । प्रकरण मे अनावेदक अधिवक्ता श्री एस. के. श्रीवास्तव के तर्क श्रवण किए गये । उनके द्वारा अपने तर्को में बताया गया कि इस प्रकरण में व्यवहार न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक–22.11.2013 के प्रकाश में राजस्व मण्डल के इस प्रकरण को समाप्त किए जाने का निवेदन किया गया। आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में तीन बार आवाज लगायी गयी किन्तु वे प्रकरण में अनुपस्थित रहे । आवेदक अधिवक्ता दिनांक–15.10.15 से लगातार अनुपस्थित है। उनके द्वारा सिविल न्यायालय के आदेश की प्रति	

छोटेलाल / भागोदेवी

R. 202/II/08

शासन

जो अनावेदक अधिवक्ता द्वारा आवेदक अधिवक्ता को प्रदाय की गयी थी उसका जबाब उन्हें दिनांक–5.11.15 तक प्रस्तुत करना था का जबाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया ।

मेरे द्वारा प्रकरण का सूक्ष्मता से परीक्षण किया गया । जिसके अनुसार प्रकरण में मुख्य विवाद नामांतरण से संबंधित है । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक–13.2.2008 से अनावेदक गण के पक्ष में हुए नामांतरण को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर होने के कारण स्वीकार किया जाकर विचारण न्यायालय के आदेश को स्थिर रखते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए विधि अनुकूल आदेश पारित किया गया है । प्रकरण में अनावेदक अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत व्यवहार न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश अमर पाटन के आदेश दिनांक–22.11.2013 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया । अवलोकन से पाया गया कि सिविल न्यायालय में प्रकरण आवेदक द्वारा ही दायर किया गया था जो यह अंकित करते हुए निरस्त किया गया कि वादी विवादित भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी होना प्रमाणित नहीं और इस कारण से यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि उसके कब्जे में प्रतिवादीगण दखल दे रहे है । विवादित भूमि के संबंध में नामांतरण आदेश दिनांक–29.10.07 अवैध एवं शून्य होना प्रमाणित नहीं है । आलोच्य आदेश की पुष्टि करते हुए आवेदक की ओर से दायर वाद अपील सारहीन होने से निरस्त की गयी है ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं माननीय सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक–22.11.13 के प्रकाश में अपर आयुक्त का आदेश दिनांक–13.2.2008 स्थिर रखा जाता है तथा यह निगरानी अस्वीकार की जाकर इसी स्तर पर समाप्त की जाती है । आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस किया जावे । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

2.12.15

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश,
ग्वालियर